

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मंगलराम वर्गो बनाम गणपत वर्गो

गिरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 7/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जेठ   | न्यायालय अहकाम<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर  |
|------------|--|--|
| 16.01.2024 | <p>वकील डिक्कीदार श्री कमल कुमार शर्मा एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर व तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी की जावे। पत्रावली वारत प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।</p> |  |
| 29.04.2024 | <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्कीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्की की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 3353 दिनांक 20.02.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>               | <p>वकील डिक्कीदार श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्कीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्की की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 3353 दिनांक 20.02.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> |

(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वकील डिक्कीदार श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)  
पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्कीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्की की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 3353 दिनांक 20.02.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

